



सेवा में

सचिव महोदय, पटना

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना,

विषय: आवेदन:- अनधेश थापन BR-DIPC/3361-

डापकं 337 के अन्तर्गत सारणी पर

विजय नखाद द्वारा आपत्ति के संबंध में,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार  
पटना प्रमण्डल, पटना  
कार्यालय संख्या-01

MAY 2018 महोदय,

आवेदन की प्रत

गिरीधर शर्मा कहना है कि मैं विजय नखाद  
 अपनी गाड़ी का वाहन स्वामी हूँ यह है कि  
 मैं अपनी गाड़ी का पना कार्ड (मार्ग) द्वारा प्रेषित  
 प्रसिद्ध निर्गत कर परिचालन कर रहा हूँ।  
 यह है कि मेरी गाड़ी को समय-समय पर जांच कराया जा रहा है  
 पूर्व एवं गीसरा रोप कार्ड 16:47 एवं यह है कि  
 मेरी गाड़ी को समय-समय पर जांच कराया जा रहा है  
 द्वारा कार्ड प्र 7:34 एवं गीसरा रोप कार्ड प्र 16:48  
 परिवल किया है। जो प्राधिकार के अधिकार में है।  
 यह है कि एक निरंतर रूप एवं एक निरंतर प्रसिद्ध  
 परिवल किया है। जब कि दो निरंतर रूप या प्रेषित होने चाहिए  
 जो नहीं है आवेदन के द्वारा समय-समय पर जांच की जाय।  
 अतः श्री गणेश सेन शर्मा

श्री आवेदन को स्वीकार करने के अन्तर्गत  
 परम भरा के मांगी करें।

आपका विश्वस्त  
 नाम- विजय शर्मा

गति सं BR-25P/7455-96  
 दिनांक 21/05/2018  
 नं 8271919345

श्रीमान

श्रीमान संभुकर आपूकर वसुध सचिव  
( शं परिसर प्रां पटना प्रपत्ता )

11/5/18



सभ्य - आपकी दर्ज करने के सम्बन्ध में

(2)

संलग्न

रंग में निवेदन प्रेषित करना है कि

श्री अजीत कुमार गाड़ी नं. BR25-9018 का प्रस्तावित समय  
सारणी मार्ग दुबसिगढ़ से जहानावाड़ में दिया था। मेरा  
प्रस्तावित समय सारणी पर सुनवाई प्राधिकार के बैठक  
दिनांक 22/5/18 को स्वीकृत हो गया है। मेरा समय  
सारणी का ड्राइवर रविन्द्र कुमार गाड़ी नं. BR25P-7763 से  
मार्ग हिलसा से जहानावाड़ पर प्रस्तावित समय सारणी दिया  
है जो हमारे समय सारणी मुख्य बिन्दु जहानावाड़ छुट्ट  
8.15 एवं 11.58 दिया है जो 0 मिनट एवं 1 मिनट का अन्तराल  
है। हमें जहानावाड़ पर 10.14 सुनवाई एवं 10.13 ई.जी.  
मिनट का अन्तराल है।

लेखीक परिवहन प्रां  
पटना प्रमण्डल, पटना  
काठमन्डू संख्या-01

MAY 2018

22/5/18

निवेदन की प्राप्ति सं -

आपकी संकेतों के तदुपरांत प्रस्तावित  
विषयों का उल्लेख है। इसे सुनवाई कर इसे स्वीकृत  
करके कि कृपा की जाए। इस कार्य का श्रीमान  
का सदा कर्तारी रहूंगा।

आपका निश्चाली

अजीत कुमार

गाड़ी नं - BR25-9018

फोन - 9631216932

दिनांक - 22/5/18

संलग्न संख्या 18/18/18

- 1) जांच कर दावा पत्र
- 2) प्रस्तावित समय सारणी दावा पत्र
- 3) प्रस्तावित समय सारणी का प्रमाण
- 4) आपकी पत्र

3

सेवा में

श्रीवत्स मलिक

श्रीमान परिश्रम-प्रतिभा, पटना 1

दिनांक



विषय - अमर कुमार वरसेलमा 1824P 4653 के 159 समय पर आपसे के सम्बंध में।

बोलीय परिश्रम प्राधिकार  
पटना प्रमण्डल, पटना  
कार्डनर संख्या-01  
MAY 2018  
अपील की प्रार संख्या

विषय में मेरा गाड़ी मारि ले हवानी परीमट  
चलती है। मेरा गाड़ी प्रथम 90 5-50 AM  
को समय है।

और आपसे के द्वारा भी दिया जाता  
समय प्रथम 90 5-50 AM ही है। जो-सम है।  
जान है। जो-सम है।

अतः सीमा के प्रतिबंध में जो-सम है  
दृष्टि-संगत को आपसे के सम्बंध में।

आपसे के सम्बंध-विषय में  
23.5.018 तक ही

आपका प्राम P.P.  
मेराज  
182 44P - 1152  
22-5-018

दिनांक

राज्य परिवहन  
संस्थान प्राधिकार  
पटना

23/5/18



विषय - श्री गुन्ना सिंह (पत्र संख्या BRIPA-1063) के द्वारा  
द्वारा से आवा के उद्घाटन समय सारणी पर आपत्ति  
के संबंध में -

महोदय,

निवेदन प्रकृत संख्या 23/5/18 के एक नमूने

पत्र का जवाब स्वामी हैं। बेरी नई बस पर मार्ग आवा से  
द्वारा पर दिनांक 23/05/2018 के प्राधिकार से पत्र में कार्यवाही  
संख्या 2 के क्रमांक 67 पर आपत्ति सहित में परमिट की स्वीकृति  
मिली है। बेरी गाड़ी का आवा उद्घाटन समय 6:30 बजे है। श्री  
गुन्ना सिंह ने अपनी गाड़ी का समय सारणी का प्रकाश दिया है  
जो कि समय सारणी के आगे है।

महोदय का नाम है कि श्री गुन्ना सिंह

पत्र संख्या BRIPA-1063 के प्राधिकार से पत्र दिनांक 23/05/2018  
में एक कार्यवाही संख्या 2 के क्रमांक संख्या 45 पर आपत्ति  
सहित में विरह टोकर परमिट की स्वीकृति मिल चुकी है।  
इसी परिस्थिति में गाड़ी संख्या BRIPA-1063 का आवा  
आवा समय सारणी में नहीं है। एक ही गाड़ी पर दो दो  
परमिट की स्वीकृति नहीं की जा सकती है। बस सेवा का  
आवा में नहीं है। नवसे गाड़ी संख्या BRIPA-1063  
की दिनांक 23/05/2018 में आपत्ति सहित में परमिट की स्वीकृति  
मिल चुकी है। बेरी परिस्थिति में उन: इसी गाड़ी का आवा  
आवा सारणी में नहीं है। इनकी परमिट की स्वीकृति मिल चुकी है  
उसे ही निवासी करने की बात जा सकता है।

अतः आशा है निवेदन के संबंध में

आपत्ति को दूर करने के पश्चात श्री गुन्ना सिंह का आवा उद्घाटन  
समय सारणी को रखा गया है।

आपका निवासी  
Saryu Tiwari

राज्य परिवहन प्राधिकार  
पटना प्रमण्डल, पटना  
कार्डनर संख्या-01  
MAY 2018  
आपत्ति का



Signature

सेवा में,

श्रीमान,

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

पटना।

कार्यालय द्वारा आवेदक उषा देवी वाहन सं०- BR01PH-9827 के प्रकाशित प्रस्तावित समय सरणी औरंगाबाद से फतुहा अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग के प्रकाशन के आलोक में आपत्ति के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं अपनी वाहन (बस) सं० BR26G-1001 मॉडल 2013, के निर्बंधित स्वामी हूँ जिसे लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से लीज-एकरारनामा कर एक स्थायी अन्तर्क्षेत्रीय सबारी गाड़ी परमिट सं०- 105/2014 औरंगाबाद से पटना मार्ग पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत है जिसकी मान्यता 5/3/2019 तक है तथा उक्त परमिट जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नाम निर्गत है तथा मेरी अपनी उक्त वाहन सं० BR26G-1001 परमिट पर आवृत्त है एवं उक्त परमिट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित है साथ ही एक स्थायी समय-सारणी भी निर्गत है।

उपरोक्त विषय के आलोक में मेरी आपत्ति है कि :-

1. यह कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित समय-सारणी के दूसरा खेप में पटना-मीठापुर बस पड़ाव का प्रस्थान समय अस्पष्ट एवं ओभरराइटिंग किया है जिसके कारण इनका प्रस्थान समय पटना-मीठापुर बस पड़ाव एवं आगमन समय नौबतपुर स्टेज पर अस्पष्ट है।

2. यह कि आवेदक द्वारा दूसरे खेप में अरवल स्टेज के बाद छाउदनगर स्टेज प्रस्तावित है जो कि पटना से औरंगाबाद मार्ग में छाउदनगर कोई स्टेज ही नहीं है। इनका समय-सारणी अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

पथ परिवहन प्राधिकार

पटना मॉडल, पटना

कार्यालय संरक्षण-01

विषय :

MAY 2019

23/5/18



Signature

सेवा में,

श्रीमान,  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
पटना।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार  
पटना प्रमण्डल, पटना  
काउन्टर नं०-01

MAY 2018  
25/5/18

कार्यालय द्वारा आवेदक बालमुकुंद सिंह वाहन सं०- BR02T-9127  
के प्रकाशित प्रस्तावित समय सारणी औरंगाबाद से फतुहा अन्तर्क्षेत्रीय  
मार्ग के प्रकाशन के आलोक में आपत्ति के संबंध में।

आवेदन को प्राप्त किया गया  
महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं अपनी वाहन (बस) सं०- BR26G-1001  
मॉडल 2013, के निर्बाधित स्वामी हूँ जिसे लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत  
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से लीज-एकरारनामा कर एक स्थायी अन्तर्क्षेत्रीय  
सवारी गाड़ी परमिट सं०- 105/2017 औरंगाबाद से पटना मार्ग पर क्षेत्रीय  
परिवहन प्राधिकार, पटना द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत है जिसकी मान्यता 5/3/2019  
तक है तथा उक्त परमिट जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नाम निर्गत  
है तथा मेरी अपनी उक्त वाहन सं० BR26G-1001 परमिट पर आवृत्त है एवं उक्त  
परमिट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित है साथ ही एक  
स्थायी समय-सारणी भी निर्गत है।

(परमिट एवं समय-सारणी की छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त विषय के आलोक में मेरी आपत्ति है कि उक्त वाहन (बस)  
सं०- BR02T-9127 एक स्लीपर वाहन (बस) है।

यह कि स्लीपर बसों का परिचालन इस राज्य (बिहार) में निषेध है।  
जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 एवं बिहार मोटर नियमावली 1992  
के नियम 141 में ऐसे वाहनों का परिचालन दंडनीय अपराध है। जब जबकि  
परिचालन ही इस राज्य में निषेध है तो प्राधिकार द्वारा परमिट की स्वीकृति स्लीपर  
वाहनों पर देने का प्रश्न ही नहीं उठता है जो कि न्याय संगत भी नहीं है।

